झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–396 / 2019

डॉ0 राम नाथ राम ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधान सचिव, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
3. उप सचिव, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
4. निदेशक, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
6. जिला पशुपालन अधिकारी, रांची।
7. कोषागार पदाधिकारी, रांची।
8. महालेखाकार, झारखंड सरकार, रांची ..... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री जगेश्वर महतो, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री राहुल कु0 गुप्ता, वरिष्ठ एस0सी0–I

श्री अक्षय वर्मा, वरिष्ठ एस0सी0–I के ए0सी0

03 / 26.07.2019 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान वकील को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 1162 / 2017 के पुनःस्थापन पर सुना जिसे निर्धारित समय के भीतर बचे हुए त्रुटियों को अनुल्लंघनीय आदेश दिनांक 26.09.2018 के अनुपालन में दूर न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह रिट याचिका मामलों के एक समूह के साथ सूचीबद्ध की गई थी और इसलिए अनजाने में त्रुटियों को दूर करने के अनुल्लंघनीय आदेश छूट गया था। इस प्रकार रिट याचिका खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षेति होगी, क्योंकि यह सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामला जिसमें 2014 के बाद से भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए, रिट याचिका को बहाल किया जाए।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना का विरोध नहीं करते।

पक्षकारों के प्रस्तुतियों और तत्काल याचिका में आग्रह किए गए कारणों पर विचार करने के बाद, डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 1162/2017 को इसकी मूल फाइल में बहाल किया जाए। रिट याचिका में शेष त्रुटियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर दूर किया जाना चाहिए। कार्यालय सत्यापित करे।

5. बचे हुए त्रुटियों को, यदि कोई हो, दो सप्ताह की अवधि के भीतर दूर किया जाना चाहिए। कार्यालय सत्यापित करे।

तदनुसार, यह याचिका निपटाई जाती है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)